न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 134 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 193)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. बलराज सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेनामा खास बलप्रीत सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. सतनाम सिंह उर्फ सतपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 23.06.2022

उपस्थितः 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता वादी
2.श्री पलविन्द्र सिंह, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक : 15.02.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्बत् 2056 ता 2059 के खाता सख्या 87 के मु0नं0 43 के 6.325 है0 नहरी, मु0नं0 46 के 1.961 है0, मु0नं0 47 के 6.325 है0 नहरी, मु0नं0 50 के 3.163 है0, मु0नं0 51 के 3.163 है0 नहरी, मु0नं0 52 के 1.910 है0, मु0नं0 65/25 के 0.177 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 22.961 हैक्टेयर नहरी रकबा में से वादी बलराज सिंह के नाम 10 हिस्सा यानि 0.127 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकॅार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त रकबा वादी को गुरमीत सिंह से प्राप्त हुआ था, जो जरिए इन्तकाल सख्या 169 दिनांक 28.11.2001 के दर्ज हुआ है। उक्त जमाबन्दी में प्रतिवादी सख्या 1 सतनाम सिंह उर्फ सतपाल सिंह के नाम क्रमशः 215 हिस्सा यानि 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॅार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा शेष रकबा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। इसी तरह आगामी वर्ष की जमाबन्दी सम्बत् 2060 ता 2063 के खाता सख्या 87/87 में वादी बलराज सिंह के नाम 10 हिस्सा यानि0 0.127 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकॅार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी सख्या 1 सतनाम सिंह उर्फ सतपाल सिंह के नाम 215 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसके अलावा प्रतिवादी सख्या 1 व उसके भाई गुरमीत सिंह द्वारा खातेदार मोहन सिंह, पलविन्द्र सिंह पिसरान गडा सिंह का 104 हिस्सा खरीद करने के कारण उक्त जमाबन्दी में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 55 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॅार्ड है। इस प्रकार उक्त जमाबन्दी सम्बत् 2060 ता 2063 में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम क्रमशः 215 हिस्सा + 55 हिस्सा कुल 270 हिस्सा यानि 13 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 3.415 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकॅार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादी का अपने 10 हिस्सा पर तथा प्रतिवादी का अपने 13 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का अपने 10 बिस्वा पर कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक, बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है। वर्तमान में भी वादी द्वारा ही अपने 10 हिस्सा पर फसल काश्त की हुई है और वादी का मु0नं0 51 के किला नं0 13 के 10 बिस्वा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और प्रतिवादी का अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके बाद की जमाबन्दी सम्बत् 2064 ता 2069 तैयार करते समय पटवारी हल्का द्वारा गलती से वादी के 10 बिस्वा आराजी वादी के नाम से दर्ज न करके प्रतिवादी सख्या 1 सतनाम सिंह के नाम दर्ज कर सतनाम सिंह को 3.858 है0 रकबा का खातेदार दर्ज कर दिया है और वादी का नाम जमाबन्दी से हटा दिया गया है, जबकि वादी की 10 बिस्वा आराजी व नाम बिना किसी आदेश, इन्तकाल या शुद्धि के हटाया गया है और प्रतिवादी सख्या 1 सतनाम सिंह के नाम सहबन से दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद की उतरोत्तर जमाबन्दी में भी सतनाम सिंह के नाम 10 बिस्वा रकबा दर्ज होता चला आया, जबकि सतनाम सिंह द्वारा उक्त 10 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

आराजी किसी भी प्रकार से बैय, वसीयत, दान पत्र या किसी आदेश के जरिए प्राप्त नहीं किया है। उक्त 10 बिस्वा भूमि सतनाम सिंह के नाम गलत तरीके से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी सख्या 1 सतनाम सिंह के नाम से हटाई जाकर वादी बलराज सिंह के नाम वापिस 10 बिस्वा आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्बत् 2076 ता 2079 में वादी के नाम से दर्ज कर वादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी प्रतिवादी सख्या 1 से मिला और कहा कि उक्त 10 बिस्वा आराजी प्रतिवादी सख्या 1 के नाम सहबन से दर्ज हुई है, जबकि उक्त 10 बिस्वा आराजी वादी की खातेदारी भूमि है, इसलिये उक्त 10 बिस्वा आराजी वापिस वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी सख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है और कहा कि उक्त भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है और मै अतिशीघ्र उक्त 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा करके उक्त 10 बिस्वा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय, वसीयत कर दूंगा। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं है और वादी को अपने खातेदारी भूमि से महरूम होना पडेगा तथा किसी अन्य अजनबी व्यक्ति से वाद विवाद में उलझना पडेगा, इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है एवं दावा ला पाने का अधिकारी है। यही विनाये दावा व विनाये मुखास्मत है। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्बत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 98/97 में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज रकबा में से 10 बिस्वा रकबा कम किया जाकर जमाबन्दी में 10 बिस्वा (हिस्सा) वादी के नाम दर्ज कर वादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे तथा वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे व उक्त भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया, जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर दिए जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दावा बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायमी की आवश्यकता नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मुख्तयारनामा खास की प्रति, चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98/97 की प्रति, चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 86/87 की प्रति, चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 2063 के खाता संख्या 87/87 की प्रति, चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 2055 के खाता संख्या 87/94 की प्रति, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर की प्रमाणित प्रति, चक 15 एफ एफ के इन्तकाल संख्या 169 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम चक 15 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98/97 के मुरब्बा नम्बर 43, 46, 47, 50, 52, 65/25 की कुल 19.798 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 3.858 हैक्टेयर भूमि में सहवन से दर्ज 0.127 हैक्टेयर भूमि का वादी बलराज सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के नाम पुनः दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 2063 के खाता संख्या 87 में बलराज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम 10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 में बलराज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह का नाम भी हट गया तथा उसका हिस्सा भी हटकर अन्य कृषक सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के खाते में जुड गया। उक्त नाम व हिस्सा बिना किसी आदेश, इन्तकाल या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शुद्वि के हट गया। लिहाजा चक 15 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 में वादी बलराज सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह की 0.127 हैक्टेयर भूमि का सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज होना एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 15 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98/97 के मुरब्बा नम्बर 43, 46, 47, 50, 52, 65/25 की कुल 19.798 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 3.858 हैक्टेयर भूमि में से वादी बलराज सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के नाम 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलराज सिंह बनाम सतनाम सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **134/2022**
निर्णय दिनांक :- 15.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री रामदास सौंलकी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 15 एफ एफ, पटवार हल्का 14 एफ एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98/97 के मुरब्बा नम्बर 43, 46, 47, 50, 52, 65/25 की कुल 19.798 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 3.858 हैक्टेयर भूमि में से वादी बलराज सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह के नाम 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 15.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/43 दिनांकः 15.02.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)